भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

**राज्यसभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3172**

उत्तर देने की तारीख 22.03.2018

**महाराष्ट्र को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए केंद्रीय सहायता**

3172. श्री संभाजी छत्रपतीः

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अप्रैल, 2017 में प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बावजूद महाराष्ट्र के लिए 2017-18 हेतु अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु केंद्रीय सहायता अभी भी पूर्णरूपेण जारी की जानी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस राज्य हेतु शेष केंद्रीय सहायता को जारी करने के लिए सरकार द्वारा अधिकतम कितना समय लिए जाने की संभावना है?

**उत्तर**

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री जसवंतसिंह भाभोर)

(क) से (ग) : अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के तहत राज्य सरकारों / संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय सहायता की निर्मुक्ति की जाती है जो वर्ष के दौरान निधियों की उपलब्धता के अधीन है | चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार को 2016-17 तक बकाये के रुप में 5328.16 लाख रुपये तथा वर्ष 2017-18 के लिए 5556.75 लाख रुपये सहित 10884.91 लाख रुपये की कुल राशि 2 किस्तों में निर्मुक्ति की जा चुकी है | ब्यौरे निम्नानुसार दिए गए हैं :-

|  |  |
| --- | --- |
| वर्ष | वर्ष 2017-18 के दौरान निर्मुक्त अनुदान  (राशि रुपये में ) |
| वर्ष 2016-17 तक बकाया | 53,28,16,000 |
| वर्ष 2017-18 के लिए पहली किस्त | 36,23,75,000 |
| वर्ष 2017-18 के लिए दूसरी किस्त | 19,33,00,000 |
| **कुल** | 108,84,91,000 |

\*\*\*\*\*